न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या :– 30/2021

विमला देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, जाति जाट, निवासी एस आर–19, रीको झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)

– – अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बबीता पुत्री श्री प्रकाशचन्द पत्नी नितेश कुमार, जाति जाट, निवासी वारिसपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।
2. नितेश कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, जाति जाट, निवासी एस आर–19, रीको, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज.)

–– रेस्पोडेन्टस्

———

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.02.2021 बाबत मुकदमा नम्बर 6/2019 उनवानी विमला बनाम बबीता वगैरह अभिभावको व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007, भरण–पोषण अधिकरण झुंझुनूं (पीठासीन न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं जिला झुंझुनूं)

———

उपस्थित–

1. श्री मनोज कुमार वर्मा, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नफीस अहमद, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 19.04.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट विमला ने एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण बबीता व नितेश को बेदखल किये जाने बाबत इस आशय के तथ्यों से साथ पीठासीन भरण–पोषण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया एक 65 वर्षीय सीनीयर सीटीजन है जो मकान नम्बर एसआर –19, रीको झुझुनू में निवास करती है। उक्त मकान प्रार्थीया के स्वामित्व का है। उक्त भूखण्ड में अण्डरग्राउण्ड के बाद प्रथम तल पर दुकाने हैं तथा द्वितीय व तृतीय तल पर रिहायशी मकान है। दोनो अप्रार्थीगण पति–पत्नी है। प्रार्थीया रिटायर्ड अध्यापिका है। प्रार्थीया को जो पेंशन मिलती है, उससे अपना गुजारा चलाती है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीया का स्वयं का खरीदशुदा है तथा उसके द्वारा ही निर्मित किया गया है। अप्रार्थीगण आपस में रोज झगड़ा करते है। गाली–गलौज करते है तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट करते है। जब भी आवेदिका पेंशन लाती है तो उसके रूपये छीन लेते

दोनों से परेशान होकर प्रार्थीया ने दोनो अप्रार्थीगण को बेदखल करने बाबत अखबार में सूचना प्रकाशित करवा दी। पुलिस में भी शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अप्रार्थीया सं0 1 बबीता बदमाश प्रवृति की महिला है जो वर्तमान समय में वारिसपुरा रहती है लेकिन दिन में एक–दो बार आकर प्रार्थीया को शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करती है। घर छोडकर चले जाने व जान से मारने की धमकी देती है। इस प्रकार प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधू होने के बाद भी बेसहारा जिन्दगी काटने के लिए मजबूर कर रखा है। प्रार्थीया के मकान के कुछ हिस्से पर अनावश्यक कब्जा कर रखा हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की वृद्धावस्था में सेवा व देखभाल करने के कृत्य से मुकर रहे है तथा नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे है। अप्रार्थीया बबीता प्रार्थीया के साथ कभी भी कोई भी अनहोनी घटना कारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीया विमला के स्वामित्व के मकान में रहते है तो प्रार्थीया को जान–माल का खतरा है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आवेदिका के स्वामित्व के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे। अप्रार्थीया बबीता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की साक्ष्य हुई। प्रार्थीया ने अपने स्वामित्व के मकान का लीज एग्रीमेन्ट प्रदर्शित करवाये व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण सधिनियम की प्रति पेश की। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। आदेश दिया कि "पत्रावली में उपस्थित समस्त दस्तावेज एवं प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण 1 व 2 स्वयं के पुत्र एवं पुत्रवधू को स्वयं के मालिकाना हक वाले रिहायशी मकान से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों से जाहिर है कि प्रार्थिया आर्थिक रूप से दूसरे पर आश्रित नही है तथा शारीरिक रूप से असमर्थ नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने का आरोप लगाया गया है परन्तु अपने कथनो के समर्थन में कोई पुलिस रिपोर्ट या गवाहो के बयान दर्ज करवाने में असफल रही है जिससे उसके आरोपो को बल प्राप्त नहीं होता। प्रकरण में अप्रार्थी नं0 1 बबीता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से जाहिर है कि उसका प्रार्थीया (सास) एवं अप्रार्थी नं0 2(पति) के साथ घरेलू हिसा का प्रकरण चल रहा है जिसमे महिला पुलिस थाना झुंझुनूं ने माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट नं0 45/19 पेश की है तथा माननीय न्यायालय एसीजेएम झुंझुनूं द्वारा अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध दिनांक 21.12.2019 को धारा 498(क) आईपीसी एक के तहत प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अप्रार्थीया नं0 1 के एक 10 वर्षीय पुत्री भी है जो कि अप्रार्थिया के साथ ही उक्त विवादग्रस्त मकानात में आवास कर रही है। प्रकरण में संदेह से परे जाहिर है कि अप्रार्थी नं0 1 बबीता का साथ के पति अप्रार्थी नं0 2 नितेश के साथ वर्ष 2019 से ही अनबन है तथा अप्रार्थी नं0 1 पर स्वयं की अवयस्क पुत्री की भी जिम्मेदारी हैं। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थीगण को उक्त आवास से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता। अतः प्रकरण वरिष्ठ नागरिको के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को सुनाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।" अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.02. 2021 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। प्रार्थीया ने अपने स्वयं के उपलब्ध तथ्यों एवं विकल्पों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थीया अपने पुत्र व उसकी पत्नी से प्रताड़ित है। इस तथ्य का उल्लेख प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में किया लेकिन योग्य अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ अधीकरण के समस्त प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में इन तथ्यो का भी उल्लेख किया था कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस उसके निजी स्वामित्व के मकान में शांतिपूर्ण जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे है। लेकिन योग्य अधीनस्थ अधीकरण ने अपने आदेश में इस तथ्य का उल्लेख तक करना जरूरी नही समझा ना ही योग्य अधीनस्थ अधीकरण द्वारा प्रार्थीया को उसके निजी मकान के बाबत कोई सुरक्षा प्रदान की गई ना ही उसके मकान का खाली करवाने का कोई आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इन तथ्यो का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया विवादित मकान है जो उसने रीको से आंवटित करवाया था। वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण

कल्याण अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि अगर पुत्र और पुत्रवधु वरिष्ठ नागरिक के घर में ही रहकर ही उसका पालन–पोषण नही करते है तो न्यायालय उन पर उचित भरण-पोषण की राशि वरिष्ठ नागरिक को देने का आदेश करेगें व वरिष्ठ नागरिक के उपयोग, उपभोग में आ रहे मकान परिसर को भी उसके पुत्र व पुत्रवधु से खाली करवा कर देने का आदेश सम्बन्धित पुलिस थानाधिकारी को देगें। लेकिन योग्य अधीनस्थ अधीकरण ने कानून की मंशा पर कोई ध्यान नहीं देते हुए मनमर्जी से प्रार्थनापत्र खारिज करने का आदेश पारित किया है जिससे वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण संभव नहीं है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के रहवासीय मकान को उसके पुत्र, पुत्रवधू से खाली करवाने के बाबत न तो किसी तथ्य का अंकन किया है और न कोई आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में इन तथ्यो का उल्लेख भी किया था कि अप्रार्थीगण आपस में रोज झगड़ा करते हैं। गाली–गलौज करते है तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट करते हैं। प्रार्थीया अपीलान्ट को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय/अधीकरण ने इन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं देकर भारी कानूनी भूल की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दीपक कुमार बनाम फुलवन्ती देवी के मामले में माननीय जस्टिस संदीप शर्मा ने अभिनिर्धारित किया है कि " I have given my thoughtful consideration to the arguments advanced at bar and gone through the material available on record. Indisputably, as per the sale deed placed on record with the reply by the respondents, the house in question is exclusively owned by the respondent Smt. phoolwanti, who is registered owner thereof. The respondents while instituting the application under the Act of 2007, categorically asserted that the petitioner was not maintaining them and rather was harassing and ill-treating them in their own house, singnificant portion where of had been provided by the respondent No.1 to the petitioner for residence and for running his business. Thus, unquestionably, the respondent No.1 Smt. Phoolwanti has a right under the scheme of the Act of 2007 to get vacated the portion of her own house, which, the petitioner had simply been given permission to reside and to do business. As te petitioner has failed to perform a son's obligations towards the parents, he has no right to stay on in their house contrary to their wishes and to their detriment."अपीलान्ट ने उक्त तथ्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय/अधीकरण के समक्ष रखे थे। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय/अधीकरण ने इन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं देकर भारी कानूनी भूल की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादाब खैरी बनाम स्टेट के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि " we had elaborated on how beneticial legislation in a welfare state demands a liberal interpretation wide enough to achieve the legislative purpose and be responsive to the urgent social demand in a welfare State. The object for which the Act as well as the subject provisions extracted hereinabove, were brought into force, namely, for the welfare of parents and senior citizens and for protection of their life and property, leave no manner of doubt that the Maintenance Tribunal constituted under the Act has the power and jurisdiction to render the order of eviction." अपीलान्ट ने उक्त तथ्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय/अधीकरण के समक्ष रखे थे। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थन पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख भी किया था कि इस प्रकार प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु होने के बाद भी बेसहारा जिन्दगी काटने के लिए मजबूर कर रखा है। प्रार्थीया के मकान के अधिकांश हिस्से पर अनावश्यक कब्जा कर रखा है। अप्रार्थीया बबीता प्रार्थीया के साथ कभी भी कोई भी अनहोनी घटना कारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीया विमला के स्वामित्व के

मकान में रहते है तो प्रार्थीया को जान माल का खतरा है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आवेदिका के स्वामित्व के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे। अतः अपील पेशकर निवेदल है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार की जावे व योग्य मातहत भरण पोषण अधिकरण झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18.02.2021 का आदेश निरस्त किया जाये व यह आदेश जारी किया जाये कि रेस्पोडेण्टस अपीलान्ट के एकल स्वामित्व के मकान नम्बर एसआर–19 को खाली कर देवे व अपीलान्ट के जीवन में कोई दखलअंदाजी नही करे तथा ना ही अपीलान्ट के निजी उपयोग, उपभोग के मकानात में अतिक्रमण करें। अपीलाण्ट को मकान नम्बर एसआर –19 का सम्पूर्ण का कब्जा दिलाया जावे। रेस्पोडेण्टस द्वारा मकान परिसर के किसी हिस्से अथवा मकान पर नाजायज कब्जे को पुलिस इमदाद से हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावृत्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया एक 65 वर्षीय सीनीयर सीटीजन है जो मकान नम्बर एसआर –19, रीको झुझुनू में निवास करती है। उक्त मकान प्रार्थीया के स्वामित्व का है। उक्त भूखण्ड में ग्राउण्डफ्लाउण्ड के बाद प्रथम तल पर दुकाने हैं तथा द्वितीय व तृतीय तल पर रिहायशी मकान है। उक्त अप्रार्थीगण पति–पत्नी है। प्रार्थीया रिटायर्ड अध्यापिका है। प्रार्थीया को जो पेंशन मिलती है उससे अपना गुजारा चलाती है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीया का स्वयं का खरीदशुदा है तथा स्वयं के द्वारा ही निर्माण किया गया है। अप्रार्थीगण आपस में रोज झगड़ा करते है। गाली–गलौज करते है तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट करते है। जब भी आवेदिका पेंशन लाती है तो उसके रूपये छीन लेते है। पुलिस में भी रिपोर्ट की लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अप्रार्थीया सं0 1 बबीता बदमाश प्रवृति की महिला है जो अधिक समय में वारिसपुरा रहती है लेकिन दिन में एक–दो बार आकर प्रार्थीया को शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करती है। घर छोडकर चले जाने व जान से मारने की धमकी देती है। प्रार्थीया के मकान के कुछ हिस्से पर अनावश्यक कब्जा कर रखा हैं। अधीनस्थ अधीकरण द्वारा प्रार्थीया को उसके स्वामित्व के मकान के बाबत कोई सुरक्षा प्रदान की गई ना ही उसके मकान का खाली करवाने का कोई आदेश जारी किया गया। अतः अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार की जावे व योग्य मातहत भरण पोषण अधिकरण झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18.02.2021 का आदेश निरस्त किया जाये व यह आदेश जारी किया जाये कि रेस्पोडेण्टस अपीलान्ट के एकल स्वामित्व के मकान नम्बर एसआर–19 को खाली कर देवे व अपीलान्ट के जीवन में कोई दखलअंदाजी नही करे तथा ना ही अपीलान्ट के निजी उपयोग, उपभोग के मकानात में अतिक्रमण करें। अपीलाण्ट को मकान नम्बर एसआर –19 का सम्पूर्ण का कब्जा दिलाया जावे। रेस्पोडेण्टस द्वारा मकान परिसर के किसी हिस्से अथवा मकान पर नाजायज कब्जे को पुलिस इमदाद से हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18.02.2021 को पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट राजकीय सेवा मे प्रधानाध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त पेंशन ले रही है। प्रकरण केवल बेदखली का है जिसके लिए अपीलान्ट सिविल कोर्ट से ही न्याय प्राप्त कर सकती है। भरण पोषण अधिनियम के तहत केवल भरण पोषण एवं देखभाल के लिए अनुतोष प्रदान किया जा सकता है न की बेदखली का। अतः अपीलान्ट की अपील खारीज फरमाई जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने मेरी जिन्दगी खराब कर रखी है। मैं इन दोनो से ही अलग रहता हू। अतः अपीलान्ट की अपील खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण अपीलान्ट ने अदालत मातहत के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व के आवास से अपने पुत्रवधु एवं पुत्र को बेदखल किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट प्राधानाध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के यहां आवेदन अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। उक्त अधिनियम में वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने पुत्रवधु व पुत्र से भरण पोषण की मांग न कर उन्हें स्वामित्व के आवास से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। चुंकि प्रकरण में विवाद भरण पोषण का नहीं है इसलिए अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय हाजा द्वारा दिया जाना संभव नहीं है इस हेतु अपीलान्ट को समक्ष न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.04.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं 19/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं